[illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी गुन्नौर ।

वाद सं0 49

अ0 धारा 143 ज0वि0अधि0
जैड.ए.एण्ड एल.आर.एक्ट
गुन्नौर
तहसील गुन्नौर

जी एस एस कन्या महाविद्यालय बनाम उ0प्र0 सरकार

-:निर्णय:-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थना पत्र जी एस एस कन्या महाविद्यालय अंतर्गत 143 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम पर प्रारंभ की गई । वादी का कथन है कि गुन्नौर ,सम्भल स्थित गाटा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.506 हेक्टेयर में से 0.450 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 211 क्षेत्रफल 0.0130 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 212 क्षेत्रफल 0.0120 हेक्टेयर, गाटा संख्या 213 में से क्षेत्रफल 0.0350 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.5100 हेक्टेयर भूमि का मालिक व काबिज आराजी है। वादी के उपरोक्त क्षेत्रफल में कोई कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं हो रहा है। बरन भूमि वादी द्वारा संचालित विद्यालय के उपयोग में आ रही है। वादी उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कराना चाहता है। अंत में वादी द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की प्रार्थना है ।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार संभल से जांच आख्या प्राप्त की गई । तहसीलदार गुन्नौर की जांच आख्या इस न्यायालय को प्राप्त हुई । तहसीलदार गुन्नौर की आख्याअनुसार गाटा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.506 हेक्टेयर में से 0.450 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 211 क्षेत्रफल 0.0130 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 212 क्षेत्रफल 0.0120 हेक्टेयर, गाटा संख्या 213 में से क्षेत्रफल 0.0350 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.5100 हेक्टेयर भूमि पर पशुपालन , कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि का कार्य नही हो रहा है व कृषि कार्य भी नही हो रहा है । भूमि अकृषिक कार्य के रूप में प्रयोग हो रही है । गाटा संख्या गाटा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.506 हेक्टेयर में से 0.450 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 211 क्षेत्रफल 0.0130 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 212 क्षेत्रफल 0.0120 हेक्टेयर, गाटा संख्या 213 में से क्षेत्रफल 0.0350 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.5100 हेक्टेयर को अकृषिक घोषित कर लगान मुक्त करने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है

मेरे द्वारा पत्रावली व तहसीलदार गुन्नौर की आख्या का अवलोकन किया गया । तहसीलदार गुन्नौर की आख्याअनुसार भूमि वादी की संक्रमणीय भूमिधरी है। भूमि पर कृषि व कृषि से संबंधित पशुपालन , मुर्गी पालन व कुकुट पालन , मत्स्य पालन कार्य नहीं हो रहा है । बल्कि स्कूल का निर्माण हो रहा है। पत्रावली में कोई आपत्ति नहीं आई । तहसीलदार गुन्नौर की आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है ।

-:आदेश:-

गुन्नौर के गाटा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.506 हेक्टेयर में से 0.450 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 211 क्षेत्रफल 0.0130 हेक्टेयर ,गाटा संख्या 212 क्षेत्रफल 0.0120 हेक्टेयर, गाटा संख्या 213 में से क्षेत्रफल 0.0350 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.5100 हेक्टेयर लगानी परताअनुसार को कृषि से असम्बद्ध प्रयोजन हेतु प्रख्यापित कर लगान मुक्त किया जाता है । आदेश की एक प्रति उपनिबंधक गुन्नौर को निबंधन हेतु प्रेषित की जाए । पत्रावली बाद अमल दरामद दाखिल दफ्तर हो।

12.2.2015

उपजिलाधिकारी
गुन्नौर